

19/02/20

पत्रावली पेश। छात्री वकील अनु०।
मूल वाद अफम पेटवी अफम हाजरी नै
खालीन हो चुका है। अतः आवेदन नै
अग्रे की कार्यवाही का कोई औचित्य
नहीं रहा। आवेदन भी इपी 12247
खालीन मिया जाता है। पत्रावली फल
सुधार होना कछित कर हो। लंप्या
ने कनही।

19/2/2020
महाश्वक कलमहर
धारा

